न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)

<u>निर्णय द्वारा अध्यासित तारा चन्द मीणा आई.ए.एस</u>

प्रकरण संख्याः– 19/**2022** अपील (राजस्व)

1. श्री जगन्नाथ पिता स्व0 श्री दोला भील निवासी नाई ग्रामीण नोहरा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
2. श्री डूंगा पिता स्व0 श्री दोला भील निवासी नाई ग्रामीण नोहरा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
3. श्री किशन पिता स्व0 श्री दोला भील निवासी नाई ग्रामीण नोहरा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

...........अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये उपतहसीलदार बारापाल तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये पटवारी हल्का नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

...........रेस्पोडेन्टगण

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी निर्णय दिनांक 07.12.2020 विरूद्ध आदेश अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार बारापाल जिला उदयपुर प्रकरण संख्या 947/2020 अनवान पटवारी नाई बनाम जगन्नाथ व अन्य</u>

उपस्थितः 1. श्री चुन्नीलाल डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री कल्पित जैन, पेरोकार सरकार

<u>निर्णय</u>

दिनांकः– <u>17.10.2022</u>

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्टस ग्राम नाई नोहरा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर के स्थाई निवासी होकर अपीलाण्टस पीढी दर पीढी कृषक है जो पूर्णतया भूमिहीन खातेदार होकर ग्राम नोहरा पटवार क्षेत्र नाई तहसील गिर्वा के हाल आराजी संख्या 8280 से 8293 कुल किता 14 रकबा 1.9100 हेक्टेयर भूमि पर अपने पूर्व पुरूष दोला पिता हेमा भील के समय से काबिज होकर खेती बाडी करते आ रहे है जिस पर वर्तमान में अपीलाण्टस पृथक–पृथक काबिज होकर अपने–अपने हिस्से एवं आधिपत्य की भूमि पर खेती करते है, जिस पर अपीलाण्टस की फसल खडी है। उक्त भूमि पर अपीलाण्टस के मकान एवं शम[illegible] बनी होकर शेष भूमि कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग में आ रही है। उक्त भूमि सहवन से नगर विकास

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रन्यास के नाम दर्ज होकर रेस्पोडेण्टस का उक्त भूमि से कोई लेना–देना नही है। ना ही उक्त भूमि रेस्पोडेन्टस के क्षेत्राधिकार की है, ना चारागाह है ना ही बिलानाम दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा बिना किसी हक अधिकार के अपीलाण्ट को परेशान करने हेतु आधारहीन शिकायत उपतहसील कार्यालय बारापाल में प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 द्वारा दिनांक 07.12.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर पैरवी तथा जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा किन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आनन–फानन में खाली ऑर्डरशीट पर हस्ताक्षर करवाकर अपीलाण्टस को वापिस भेज दिया और प्रश्नगत निर्णय पारित फरमाया। अपीलाण्टस को अपना पक्ष रखने हेतु समय नही दिया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 कभी भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। अपीलाण्ट संख्या 1 की तलबी सुनिश्चित नही की, अपीलाण्टस को वास्तविकता प्रकट करने का कोई अवसर नही दिया गया। उक्त भूमि ही अपीलाण्टस की आजीविका का एकमात्र जरिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रटे रटाये, पूर्व के छपे फार्म पर बिना ठोस आधार के बिना जांच किये, अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर प्रश्नगत निर्णय पारित किया है। अपीलाण्टस अनुपस्थित नही थे फिर भी अपूर्ण रिक्त स्थान भरकर अपीलाण्टस पर जुर्माना लगाते हुए निर्णय पारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज होकर धारा 91(3) राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम से परे होने के साथ–साथ माननीय अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार से बाहर है।

अपनी अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम का भी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कथित आदेश की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय बाबत कोई जानकारी नही दी गई इस बीच कोविड–19 के लॉकडाउन के चलते अधीनस्थ न्यायालय से प्रकरण की जानकारी नही हो सकी। दिनांक 10.02.2022 को नकल प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर जल्द जानकारी दिनांक के अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:03 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं पेरोकार सरकार उपस्थित। विपक्षी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे ही बहस की गई।

अपील पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया है कि ग्राम नोहरा पटवार क्षेत्र नाई तहसील गिर्वा के हाल आराजी संख्या 8280 से 8293 कुल किता 14 रकबा 1.9100 हेक्टेयर भूमि पर अपने पूर्व पुरूष दोला पिता हेमा भील के समय से काबिज होकर पीढियों से खेती बाडी करते आ रहे है। अपीलाण्टस भूमिहीन होकर उक्त भूमि ही अपीलाण्टस की आजीविका का एकमात्र साधन है। उक्त भूमि पर पशुशाला एंव अपीलाण्टस के मकानात बने हुए है। वर्तमान में उक्त भूमि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम होते हुए भी रेस्पाडेन्ट ने प्रकरण दर्ज करवाया। प्रकरण दर्ज करने के पश्चात भी अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। खाली प्रफोर्मा पर अपीलाण्टस के हस्ताक्षर करवाए गए एवं निर्णय पारित कर दिया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त भूमि बिलानाम सरकार दर्ज थी। बिलानाम सरकार दर्ज होने से की गई कार्यवाही उपतहसीलदार के क्षेत्राधिकार मे ही थी। नगर विकास प्रन्यास के नाम भूमि दिनांक 30.07.2021 को दर्ज की गई है। अपीलार्थी द्वारा भूमि स्वामित्व सम्बन्धी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 02.12.2020 को दर्ज कर 07.1[illegible] को निर्णय पारित किया गया है। निर्णय दिनांक तक भूमि बिलानाम सर[illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:03 IST
Reason: SelfAttested

उपतहसीलदार बारापाल के अधिकार क्षेत्र मे ही थी। भूमि 30.07.2021 को नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज हुई है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा आंवटन / नियमन सम्बन्धी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है जो अपीलार्थी का स्वामित्व प्रकट करते हो। अतः उपतहसीलदार बारापाल द्वारा की गई कार्यवाही विधिसम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:03 IST
Reason: SelfAttested